


बिहार सरकार  
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापक 1841 दिनांक 08.03.2011 द्वारा वर्ष 2007 के संरक्षित परिवारों एवं परिवारों के संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के राजा श्रेणियों के परिवारों को किरासन तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में क्रमशः ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति परिवार 2.75 लीटर एवं शहरी क्षेत्रों के लिए 2.25 लीटर प्रति परिवार किरासन तेल वितरण की व्यवस्था की गई थी। भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2016-17 के त्रैमासों के लिए राज्य को आवंटित किरासन तेल की मात्रा में कटौती किये जाने के फलस्वरूप निम्नरूपेण कौडिकादार किरासन तेल वितरण व्यवस्था की जाती है:-


- (1) ग्रामीण क्षेत्र के परिवार हेतु प्रतिमाह प्रति परिवार देय मात्रा 2.60 लीटर एवं शहरी क्षेत्र में 1.75 लीटर
- (2) जिला सुरक्षित मद में विभिन्न जिलों में अवस्थित कार्यालयों के आधार पर जिलों को वर्णित करते हुए निम्न रूप में सुरक्षित मद के उपभोग की व्यवस्था की जाती है:-
  - (i) जिले जहाँ नगर निगम, प्रमंडलीय मुख्यालय, विश्वविद्यालय एवं अधिक संख्या में संस्थान हैं क्रमशः पटना, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर 6067 लीटर प्रतिमाह।
  - (ii) जिले जहाँ विश्वविद्यालय एवं प्रमंडलीय मुख्यालय या नगर निगम अवस्थित है, भोजपुर एवं सारण 5393 लीटर प्रतिमाह।
  - (iii) वैसे जिले जहाँ प्रमंडलीय मुख्यालय या नगर निगम या विश्वविद्यालय अवस्थित है, क्रमशः मुंगेर, सहरसा, पूर्णिया, नालन्दा एवं मधेपुरा 4550 लीटर प्रतिमाह।
  - (iv) कौडिका (i), (ii) एवं (iii) में वर्णित जिलों को छोड़कर शेष 26 जिलों के लिए 3791 लीटर प्रतिमाह।
- (3) प्रत्येक टोला भण्डर को प्रतिमाह देय मात्रा 750 लीटर।
- (4) राज्य के 32 नक्साल प्रभावित जिलों/ईकाईयों एवं 8 नेपाल से सटे जिलों में अवस्थित ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों के थानों एवं पुलिस पोस्टों हेतु प्रकाश की समुचित व्यवस्था के लिए प्रतिमाह कुल 62,110 लीटर का प्रावधान किया गया है।
- (5) यह आदेश निर्गत की तारीख से ही प्रभावित होगा एवं विभागीय आदेश ज्ञापक-- 1841 दिनांक-- 08.03.2011 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

  
(डा० दीपक कुमार)  
प्रधान सचिव।

ज्ञापक प्रक्रियांक 0330 -01/2016 2483

पटना, दिनांक 21/4/16

प्रतिलिपि - राजा मंत्रियों के आप्त सचिव/राजी प्रधान सचिव एवं सचिव/राजी प्रमंडलीय आयोग/सभी जिला पदाधिकारी/राजी उप निदेशक, खाद्य/विशेष अनुभाजन पदाधिकारी पटना/अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/ सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/राजी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
प्रधान सचिव।

  
21/4/16

21/4